

अनुदान संख्या 43 - मत्स्यपालन विभाग
GRANT No. 43 - DEPARTMENT OF FISHERIES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
राजस्व:	Revenue:			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	2228,37,00		
		2228,39,00	1329,19,78	-899,19,22
पूरक	Supplementary	2,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			878,91,59
पूंजीगत:	Capital:			
स्वीकृत—	Voted-	20,40,00	4,08,72	-16,31,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			13,27,73

टीका और टिप्पणियां**Notes and comments**

1. अनुदान के राजस्व भाग में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :-

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2405"	Major Head "2405"			
मत्स्य पालन	Fisheries			
मू.	O.	56261.00		
पू.	S.	1.00	28880.70	27493.36
पु.	R.	-27381.30		-1387.34

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
		(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
शीर्ष Head	Head			
मुख्य शीर्ष “2552” उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head “2552” North Eastern Areas			
मू.	O.	20070.00		
पू.	S.	1.00	25.11	..
पु.	R.	-20045.89		-25.11
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants-in-aid to State Governments			
मू.	O.	135923.00		
पु.	R.	-33778.51	102144.49	101651.57
				-492.92
मुख्य शीर्ष “3602” विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3602” Grants-in-aid to Union Territory Governments with Legislature			
मू.	O.	7610.00		
पु.	R.	-6823.98	786.02	786.00
				-0.02

(I) नौ शीर्षों के अंतर्गत ₹20073.00 लाख का प्रावधान (दिसंबर, 2023 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹20066.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों “2552” के अंतर्गत – निम्नलिखित शीर्षों के तहत लेखाबद्ध थे :-

(I) Provision of ₹20073.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2023) remained wholly unutilised under nine heads; of these ₹20066.00 lakhs accounted for under Major Head “2552” - under the following heads:-

(का) “मत्स्यपालन – सामुद्रिक मत्स्यपालन – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” – ₹9686.00 लाख;

(A) “Fisheries - Marine Fisheries - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana” - ₹9686.00 lakhs;

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” – ₹1597.00 लाख; और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” – ₹8783.00 लाख।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग करने और शेष राशि को अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष “2405” – “सामुद्रिक मत्स्यपालन” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई :-

(का) “प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” – ₹23169.69 लाख की बचत (₹34379.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एस. एन. ए. के तहत पूर्व में जारी की गई राशि की शेष राशि उपलब्ध होने के चलते राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और संघ राज्य क्षेत्रों से पर्याप्त संख्या में प्रस्ताव नहीं मिलने के कारण हुई।

(खा) “मत्स्य संस्थान” – ₹4269.95 लाख की बचत (₹14944.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने, मत्स्यपालन सर्वेक्षण पोतों के शुष्क डाकिंग की लंबिता और किए गए मितव्ययता उपायों के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजना” के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई :-

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” – ₹26265.37 लाख की बचत (₹97305.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एस. एन. ए. के अंतर्गत पूर्व में जारी की गई राशियों में से अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने और राज्यों द्वारा एस. एन. ए. के

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana” - ₹1597.00 lakhs; and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana” - ₹8783.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilization for on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head “2405” - “Marine Fisheries” - savings occurred under the following heads: -

(A) “Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana” - saving of ₹23169.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34379.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments/implementing agencies owing to availability of unspent balances of earlier releases under SNA and non-receipt of adequate proposals from UTs.

(B) “Fisheries Institutes” - saving of ₹4269.95 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14944.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, pendency of dry docking of fishing survey vessels and economic measures.

(III) Under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes” - savings occurred under the following heads:-

(A) “Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana” - saving of ₹26265.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹97305.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from State Governments/implementing agencies owing to availability of unspent balances of earlier releases

दिशा निर्देशों का पालन नहीं किए जाने और राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुई।

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” – ₹12638.99 लाख की बचत (₹30103.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(IV) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं – केंद्रीय सहायता/हिस्सा – प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना” – ₹6070.27 लाख की बचत (₹6758.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें एस. एन. ए. के तहत पूर्व में जारी की गई राशि में से अप्रयुक्त राशि उपलब्ध होने के कारण राज्य सरकारों/कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों से कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(V) पांच शीर्षों के अंतर्गत ₹2022.73 लाख की बचत हुई जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थीं और स्वीकृत प्रावधानों की क्रमशः 22 से 96 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें आंशिक रूप से उत्तर पूर्व क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं पर उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष “2552” से कार्यात्मक शीर्षों को निधियों के पुनर्विनियोग किए जाने के कारण मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं जनजातीय क्षेत्र और योजना – प्रधानमंत्री मत्स्यपालन संपदा” – के तहत ₹4632.93 लाख के हुए अधिक व्यय (₹8515.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) द्वारा प्रतिसंतुलित हो गई।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में बचतें निम्नलिखित शीर्षों के तहत हुई :-

under SNA and non-compliance of SNA guidelines by the states and non-receipt of adequate proposals from the states.

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojna” - saving of ₹12638.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹30103.00 lakhs); and

(IV) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes - Central Assistance/Share - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana” - saving of ₹6070.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6758.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals from State Governments/ implementing agencies owing to availability of unspent balances of earlier releases under SNA.

(V) Under five heads saving of ₹2022.73 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituted 22 percent to 96 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under Major Head “3601” - “Centrally Sponsored Schemes - Tribal Area Sub-Plan - Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana” - excess of ₹4632.93 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8515.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head “2552” to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. In the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

कुल अनुदान
Total
grant

वास्तविक व्यय
Actual
expenditure

बचत—
Saving -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "4405"	Major Head "4405"				
मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Fisheries				
मू.	O.	1980.00	657.17	355.80	-301.37
पु.	R.	-1322.83			

(I) "सामुद्रिक मत्स्यपालन – मत्स्यपालन संस्थान" के अंतर्गत – ₹1624.20 लाख की बचत (₹1980.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मशीनों और उपकरणों को नहीं खरीदे जाने और निर्माण कार्य के लिए सी. पी. डब्ल्यू. डी. को कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(I) Under "Marine Fisheries - Fisheries Institutes" - saving of ₹1624.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1980.00 lakhs) was due to non-procurement of machinery and equipments and requirement of less funds by CPWD towards construction work.